रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241361 CG-DL-E-23122022-241361

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5779] No. 5779] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSHA 1, 1944

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6021(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.अ. 4644(अ) तारीख 27.09.2022 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में धामरा- हिल्दिया पाइप लाइन (डी एच पी एल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

8596 GI/2022 (1)

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदिशपुर -हल्दिया एवं बोकारो -धामरा पाइपलाइन परियोजना							
अनुभाग -धामरा से हल्दिया							
6(1) अनुसूची							
राज़्य -ओड़िशा							
जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल			
191011	46414	าเจ		हेक्टर आर वर्गमिटर			
भद्रक	बासुदेबपुर	बlग्दाबिनायकपुर	260	00 09 28			
			258	00 03 24			
			257	00 03 65			
			270	00 08 88			
			269	00 03 01			
			272	00 09 10			
			273	00 00 65			

[फा. सं. एल-14014/203/2022-जीपी-II (ई-44538)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2022

S.O. 6021(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 4644(E) Dated 27.09.2022 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dhamra-Haldia Pipeline (DHPL) in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT							
DHAMRA TO HALDIA SECTION							
6(1) LAND SCHEDULE							
State: ODISHA							
DISTRICT	TAHASIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA HECT. ARE SQ. MTR.			
BHADRAK	BASUDEBPUR	BAGDABINAYAKPUR	260	00 09 28			
			258	00 03 24			
			257	00 03 65			
			270	00 08 88			
			269	00 03 01			
			272	00 09 10			
			273	00 00 65			

[F. No. L-14014/203/2022-GP-II (E-44538)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.